

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष - अनिल बेक ।

बनाम

वाद सं0 47 / 2023

द्वितीय पक्ष - विशाल केशरी बगैरह।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं० 12 / 2023 दिनांक 10 / 06 / 2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) अनिल बेक उम्र 25 वर्ष पिता सुनिल बेक ग्राम कुरा (2) गोडवीन एक्का उम्र 25 वर्ष पिता पोलुस एक्का ग्राम देवगाँव, थाना पालकोट, जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) विशाल केशरी उम्र 25 वर्ष पिता स्व० अशोक कुमार केशरी (2) चंदन केशरी उम्र 25 वर्ष पिता गोपाल प्रसाद केशरी दोनों ग्राम+थाना पालकोट जिला गुमलालकोट जिला गुमला के बीच शराब खरीदने व बेचने को लेकर विवाद एवं तनाव हैं। फलस्वरूप उभय पक्षों के द्वारा शांति फैलाने की सम्भावना है। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त किये हैं न्यायालय में द्वितीय पक्ष उपस्थित हुए :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	